प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02535/2021-2022 दिनांक 16/02/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या: R/BUL/15724/2021-2022 पत्रावली संख्या: 42072-M दिनांक: 2001-2002

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **रामचन्द्र कैलाशो देवी एजूकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी, सिकन्द्राबाद, जिला- बुलन्दशहर, बुलन्दशहर , 203205** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1143 दिनांक-29/01/2002 को दिनांक-29/01/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(ARVIND KUMAR SINGH)
5BAB8725D0F998628ED3E67B9679BBD11EE91463
Date: 16/02/2022 5:05:34 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-16/02/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

रामचन्द्र कैलाशो देवी एजूकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी

सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।

प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष :– 2021–2022

क्र0 सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र शर्मा	खत्रीवाडा, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	अध्यक्ष	व्यापार
2.	श्री अंशु शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा	निकट देवी मन्दिर गेट, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	श्री रवि शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिओम शर्मा	निकट देवी मंदिर गेट, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	प्रबन्धक	व्यापार
4.	श्री अंकुर शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा	खत्रीवाडा, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	उपप्रबन्धक	नौकरी
5.	श्रीमती निधी गोयल पुत्री स्व0 श्री जीवन लाल गोयल	निकट देवी मंदिर गेट, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6.	श्री सचिन गोयल पुत्र श्री के0के0 गोयल	मौ0 हरिशाह, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	सदस्य	व्यापार
7.	श्री पवन दीक्षित पुत्र श्री बलराम दीक्षित	बाजार माधोदास, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	सदस्य	व्यापार
8.	श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी श्री अभिषेक शर्मा	खत्रीवाडा, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	सदस्य	गृहणी
9.	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री दौलतराम	15, पाण्डवनगर, शहगंज, आगरा।	सदस्य	नौकरी
10.	श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री रविदत्त शर्मा	बी–180, नन्दग्राम, गाजियाबाद।	सदस्य	व्यापार
11.	श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री रघुवर शर्मा	निकट बाबा खाकनाथ मंदिर, सिकन्द्राबाद, जिला– बुलन्दशहर।	सदस्य	व्यापार
12.	श्रीमती दीपा शर्मा पत्नी श्री चन्द्रशेखर शर्मा	ग्राम व पोस्ट बिलासपुर, जिला– गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	समाज सेवा

(मुहर: रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०))

सत्य प्रतिलिपि

अध्यक्ष
राम चन्द्र कैलाशो देवी एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाईटी
सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर)

प्रधान सहायक/अभिलेखक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
24/12/2021

संशोधित- स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम : रामचन्द्र कैलाशो देवी एजूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी।

2- संस्था का पूरा पता : रामचन्द्र कैलाशो देवी एजूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी सिकन्द्राबाद, जिला- बुलन्दशहर।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4- संस्था के उद्देश्य :

अ- शैक्षिक संस्थाओं द्वारा शिक्षा का प्रचार एवं राजकीय शिक्षा संहिता व विश्व विद्यालय संहिता के आधार पर शिक्षा प्रदान करना।

ब- पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि खोलना।

स- साहित्य एवं सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करना।

द- अन्य प्रयोगात्मक विषयों के लिए संगीत, सिलाई, कढाई, बुनाई, क्राफ्ट आदि विषयों के लिए केन्द्र स्थापित करना।

य- शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु विद्यालयों, कालिजो, पाठशालाओं, पुस्तकालयों वाचनालयों, छात्रावासों प्रयोगशालाओं तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करना, संचालित करना एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ 3010
सत्यमेव जयते
मेरठ क्षेत्र, मेरठ

न- छात्रों को पुस्तक वितरण, स्टाईपेन्ड इन्सैटिव के हेतु छात्रवृत्ति कोष की स्थापना एवं संचालन।

प- विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाट्य, ऐतिहासिक सम्पदा के संरक्षण की कला के विकास एवं विस्तार हेतु संस्थानों की स्थापना, संचालन, सहायता एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

फ- सामान्य नागरिकों के प्रयोग हेतु बाग- बगीचों, क्रीडा संस्थानों की स्थापना करना, संचालन, करना सहायता एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ब- सामान्य जनता के लाभ हेतु तथा संस्थानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु किसी अन्य संस्था का अधिग्रहण एवं विलय करना।

भ- संगीत, सिलाई, कढाई, बुनाई, क्राफ्ट आदि विषयों के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।

म- वोकेशनल, पोलीटेक्निक एवं उनसे सम्बन्धित शिक्षाप्रद एवं अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ [illegible]
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ
04-5-12

संशोधित- नियमावली

1- संस्था का नाम : रामचन्द्र कैलाशो देवी एजूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी।

2- संस्था का पूरा पता : रामचन्द्र कैलाशो देवी एजूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी सिकन्द्राबाद, जिला- बुलन्दशहर।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

सदस्यता निम्नलिखित योग्यता के व्यक्तियों के लिए खाली होगी।

अ- भारत का नागरिक हो।

ब- व्यस्क हो।

स- मूर्ख तथा अविकसित मस्तिष्क का न हो।

द- किसी अपराधिक या चारित्रिक दोष का भोगी न हो।

य- संस्था के सब नियमों, उपबन्धों को भविष्य में माने की बाध्यता अंगीकृत करता हो।

5- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-

आजीवन सदस्यता के लिए 20,000/- (बीस हजार रूपये) सदस्यता शुल्क होगा तथा कार्यकारिणी के तीन सदस्यों की संस्तुति अनिवार्य होगी, नये सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद मताधिकार प्राप्त होगा।

ब- साधारण सदस्य :-

साधारण सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क अंकन 10,000/-रू0 (दस हजार रूपये) वार्षिक होगा।

व्याख्या :-

1- सदस्यता के आकांक्षी को आवेदन पत्र अध्यक्ष के नाम मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। सदस्यता की स्वीकृति का निर्णय तत्कालीन कार्यकारिणी करेगी, जो अन्तिम होगा।

2- किसी भी मत का अधिकार क्षेत्र केवल उसी सदस्य का होगा, जो कम से कम 2 वर्षो से समिति का लगातार सदस्य होगा।

6- सदस्यता की समाप्ति :- सदस्यता की समाप्ति निम्न कारणों से समाप्त हो सकती हैं :-

अ- मृत्यु होने पर ।

ब- पागल या दिवालिया घोषित होने पर।

स- न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित होने पर।

द- समितियों के नियमों को तोड़ने पर।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ ... सहायक
कार्यालय ... रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

Scanned with CamScanner

य- विशेष परिस्थितियों पर साधारण सभा के 2/3 बहुमत द्वारा।

7- संस्था के अंग :- क- साधारण सभा ।
ख- प्रवन्धकारिणी समिति ।

अ- साधारण सभा का गठन :-
सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होता हो।

ब- बैठकें :- साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य होगी, आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

स- सूचना अवधि :-
साधारण सभा की बैठकों के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व लिखित सूचना पर बैठक बुलाई जा सकती है, कोई भी पांच सदस्य मिलकर साधारण सभा की बैठक बुला सकते है।

द- गणपूर्ति :- साधारण सभा की बैठक के लिए दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर गणपूर्ति होगी।

य- विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-
विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि प्रबन्ध कार्यकारिणी निश्चित करेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :-

1- साधारण सभा के कुल सदस्यों का 3/4 बहुमत के नियमों व विनियमों में परिवर्तन किया जा सकता है।

2- प्रत्येक चौथे वर्ष साधारण सभा को प्रवन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को चुनने का अधिकार होगा।

3- साधारण सभा को किसी भी ऐसे सदस्य अथवा पदाधिकारियें को पदच्युत अथवा सदस्यता से पृथक करने का अधिकार होगा। जिससे संस्था को क्षति पहुंचाती हो, लेकिन इनके लिए उसे प्रवन्ध कार्यकारिणी समिति से सहमति लेनी पडेगी और वह कार्य 3/4 बहुमत से होगा।

प्रवन्धकारिणी समिति :-

अ- गठन :- प्रवन्धकारिणी समिति का गठन प्रबन्धक के लिए साधारण सभा करेगी, जिसमें 7 पदाधिकारी तथा 5 सदस्य होगें, इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 12 सदस्य होगें।

ब- बैठकें :- प्रवन्धकारिणी समिति की बैठक कम से कम वर्ष में चार बार अवश्य होगी, विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स- सूचना :- प्रवन्धकारिणी समिति की बैठक कम से कम सात दिन पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

द- कोरम :- प्रवन्धकारिणी समिति के लिए 2/3 कोरम आवश्यक है।

य- रिक्त स्थानों की पूर्ति :-
प्रवन्ध समिति के मध्यावधि रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों में से की जायेगी, जिसका निर्णय तत्कालिक कार्यकारिणी के बहुमत से होगा।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक/अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ
04-5-12

Scanned with CamScanner

र- प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :-

1- संस्था के समस्त कार्यो एवं चल अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।

2- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पृथक करना।

ल- कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियं में एक वर्ष और बढाया जा सकता है।

प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

1- साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षत करना ।

2- मत विभाजन के समय बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा एवं अन्य बैठक के समय अन्य विषय प्रस्तुत करने की आज्ञा देना।

उपाध्यक्ष :-

1- अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग देना।

2- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करना।

प्रबन्धक/ मन्त्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक बुलाना।

2- बैठक की कार्यवाही का लेखा जोखा रखना।

3- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।

4- साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव को कार्य देना।

उपप्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :-

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक के सारे कार्य उपप्रबन्धक करेगा।

सचिव के अधिकार व कर्तव्य :-

अध्यापकों एवं छात्रों के उपर सचिव को 50/-रू0 प्रतिमाह खर्च करने का अधिकार होगा किन्तु इस खर्च की अनुमति लिखित में अध्यक्ष एवं प्रबन्धक से लेनी होगी।

उपसचिव के अधिकार व कर्तव्य :- सचिव जी अनुपस्थिति में सचिव के कार्यो की देखभाल करेगा।

आडिटर के अधिकार व कर्तव्य :-

वर्ष में कम से कम एक बार समिति के हिसाब किताब का निरीक्षण करना तथा मन्त्री द्वारा अपनी रिपोर्ट साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ

04-5-12

Scanned with CamScanner

सहायक आडिटर के अधिकार व कर्तव्य :-

वर्ष में कम से कम एक बार समिति के हिसाब किताब का निरीक्षण करना तथा उसके बाद अपनी रिपोर्ट आडिट को देना, आडिटर उस रिपोर्ट को साधारण सभा में प्रस्तुत करेगा। विद्यालय के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण पहले सहायक आडिट करेगा, उसके बाद आडिट करेगा।

कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य :-

1- संस्था के कोष की देखभाल करना।
2- संस्था का कोष बैंक में मन्त्री के साथ संयुक्त खाते में जमा करना।

संरक्षक के अधिकार व कर्तव्य :-

विद्यालय के भवन एवं अध्यापकों का समय पर आना तथा छात्रों के अध्ययन कार्य की देखभाल संरक्षक करेगें तथा भवन के खर्च करने का हिसाब किताब व साधारण सभा में मन्त्री महोदय के सहयोग से पेश करेगें।

10- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन साधारण सभा के 3/4 बहुमत से किया जा सकता है।

11- संस्था का कोष :-

संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में खाता खोलकर कोषाध्यक्ष के संयुक्त खाते में रखा जायेगा।

12- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिटर द्वारा साल में एक बार अवश्य कराया जायेगा।

13- संस्था के अभिलेख :-

1- सदस्यता रजिस्टर
2- स्टाक रजिस्टर
3- कार्यवाही रजिस्टर
4- कैश बुक आदि

ये सभी अभिलेख मन्त्री की संरक्षता में रहेगा।

14- चुनाव अधिकार :- चुनाव अधिकारी प्रबन्धसमिति में से ही चुना जायेगा, लेकिन वह किसी पद का उम्मीदवार नही होगा, तथा अपनी देख- रेख में चुनाव करायेगा।

15- संस्था का विघटन :- संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ
04-5-12

सत्यमेव जयते
मेरठ क्षेत्र, मेरठ

Scanned with CamScanner

16- अन्य प्रतिबन्ध :-

अ- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

व- विद्यालय के प्रवन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

स- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

द- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी, यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

य- संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर व कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

र- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक, उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

ल- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

व- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ट- यू0पी0 एजूकेशनल बोर्ड की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों से शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।

ढ़- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

17- उद्देश्यों की पूर्ति :-

1- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोषों का चल अथवा अचल सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, पुर्ननिर्माण में निवेश करना।

2- संस्थान की प्रबन्ध समिति को अनुमति द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चल अथवा अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा हस्तान्तरण करना।

3- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामान्य जनता एवं संस्थानों से नकद अथवा अन्य किसी रूप में ऋण अथवा अनुदान प्राप्त करना।

4- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार, संस्थान, स्थानीय निकाय, व्यक्ति के समूह अथवा अन्य किसी व्यक्ति से अधिकार विशेषाधिकार, अर्हता की प्राप्ति के लिए अनुबन्ध करना।

दिनांक :-

सत्यप्रतिलिपि।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

04-5-12

Scanned with CamScanner